सुशील के. चक्रवर्ती (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

मैसर्स तेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड

(2013 की सिविल अपील संख्या 2600-2601)

मार्च 19, 2013

(पी. सतशिवम और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश गगपप, नियम 4(4)-उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमा-एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु मुकदमे के लंबित रहने के दौरान-उच्च न्यायालय नेएकमात्र प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही, एकमात्र प्रतिवादी उसके स्थान पर अपने कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना जारी रखी-औचित्य-निर्णीत किया गयाः तथ्यों पर, प्रतिवादी द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया परंतु उसके बाद उपस्थित नहीं हुआ और मुकदमे को चुनौती नहीं दी-उच्च न्यायालय ने आदेश गगपप नियम 4 (4) के तहत एक सचेत निर्णय लिया कि वादी को पहले मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे प्रतिवादी के हितों के खिलाफ मामले को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाने के लिए-यह स्पष्ट रूप से आदेश गगपप नियम 4(4) के अंतर्गत अनुज्ञेय था-यह उच्च न्यायालय की संतुष्टि पर किया

गया था, कि कानूनी रूप से एकमात्र प्रतिवादी केप्रतिनिधि को संयोजित करने की आवश्यकता से वादी को यह छूट देने के लिए एक उपयुक्त मामला था-उच्च न्यायालय द्वारा का निर्धारण, आदेश गगपप नियम 4(4) के संदर्भ में, तदनुसार, बरकरार रखा गया।

एकल न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय में, एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो गई। एकल न्यायाधीश ने मुकदमे की कार्यवाही को एकल प्रतिवादी की मृत्यु होने के कारण विधिक प्रतिनिधियों को संयोजित किये बिना कार्यवाही को जारी रखा और उसके बाद अपना निर्णय घोषित किया।

वर्तमान अपील में जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था कि क्या ऐसी किसी भी स्पष्ट छूट के अभाव मेंमामले में आगे कार्यवाही करने से पूर्वअदालत के लिए वादी कोप्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियोंप्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट देना अनिवार्य है, वादी द्वारा कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसने अपने पक्ष मेंनिर्णय प्राप्त किया होबिना मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को संयोजित किये बिना।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया : 1. यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी सुशील के. सी. की मृत्यु 3.6.2003 पर हुई थी। यह भी विवाद का विषय नहीं हैकि 29.8.2003 पर वादी तेज प्रॉपर्टीज ने एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया

था, जो कि आई. ए. 9676 2003 जोआदेश गगपप नियम 4 (4) सी. पी. सी. के तहत था, जोसी.एस. ओ.एस. न. 2501 1997 में था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाना था कि सुशील के. सी. की मृत्यु 3.6.2003 पर हुई थी। यह स्वीकारित स्थिति थी, जब एकल न्यायाधीश सी. एस. (ओ. एस.) सं. 2501 ऑफ 1997 मेंकार्यवाही की अनुमति दी तब यह अनुमान लगाना अनिवार्य है कि अदालत ने आदेश गगपप नियम 4 (4) सी. पी. सी. के तहत एक सचेत निर्णय लिया है कि तेज प्रोपर्टीज से मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को संयोजित किये बिना सुशील के. सी. के हितों के खिलाफ मामले को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाएगा। परिणामस्वरूप वादी तेज प्रोपर्टीज की ओर से साक्ष्य 28.1.2005 को दर्ज किया गया। उपरोक्त दृष्टिकोण में, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुशील के.सी. की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए जो आई.ए. 7696 ऑफ 2006 मेके माध्यम से उनके संज्ञान मेंआई, एक सचेत निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया था कि सुशील के.सी. के हितों के विरुद्ध मामले को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाएँ। यह स्थिति एकल न्यायाधीश द्वारा सी. एस. (ओ. एस.) सं. 2501 सी. पी. सी. के आदेश गगपप नियम 4 (4) के तहत 1997 की अनुमति स्पष्ट रूप से दी गई थी। विचारण न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध जिसने जबाबदावा प्रस्तुत किया होपरंतु उपस्थित नहीं हो और दावे को चुनौती नहीं दी होवहाँ विचारण न्यायालय उपरोक्त प्रावधान में यदि न्यायालय उचित समझे तो कार्यवाही

को आगे चला सकता है। इस मामले की परिस्थितियाँआदेश गगपप नियम 4 (4) सी. पी. सी. की सभी विशिष्टियोंं एवंतथ्योंमें पूरी तरह से लागू होती हैं। प्रतिवादी सुशील के. सी. सी. एस. (ओ. एस.) नं. 2501 ऑफ 1997 मेंअपनी उपस्थिति दी एवं 6.3.1998 कोजबाब दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद, प्रतिवादी सुशील के. सी. ने उक्त दीवानी मामले में पेश होना बंद कर दिया। इसके बाद उनका प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता नेभी नहीं किया गया। सुशील के. सी. के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश 1.8.2000 कोपारित किया गया था। इसके बाद भी सुशील के. सी. नेसीएस (ओएस) सं. 2501 1997 मेंभाग लेने के लिए कोई प्रयास उनकी मृत्यु 3.6.2003 तक नहीं किया। यह स्पष्ट हैकि विचारण न्यायालय कोउपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति का ध्यान था और सचेत रूप से मुक़दमे को आगे बढ़ने दिया। जब वाद में आगे कार्यवाही की गई सुशील के.सी. के विधिक प्रतिनिधियों को शामिल किये बिना यह न्यायालय की इस संतुष्टि पर किया गया था कि यह उपयुक्त मामला है जिसमें वादी तेज प्रोपर्टीज को यह अभिमुक्ति दी गई थी कि एक प्रतिवादी सुशील के.सी. के विधिक प्रतिनिधियों को संयोजित किये जाने से छूट दी जावे। यह उन्हीं मापदंडो पर निर्धारित किया गया था जो आदेश गगपप नियम 4 (4) सी. पी. सी. की पालना करते हों। एकल न्यायाधीश द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं की गई कि सी. एस. (ओ. एस.) नं. 2501 ऑफ 1997 में एकल प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को संयोजित किये बिना कार्यवाही को एकपक्षीय रूप से जारी करने में की गई हो। इसलिए,

एकल न्यायाधीश का निर्धारण, आदेश गगपप नियम 4 (4) सी. पी. सी. के संदर्भ मेंबरकरार रखा गया है। (पैरा 26) (264-एफ-एच, 265-ए-एच; 266-ए-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2600-2601/2013

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.ओ. (ओ.एस.) संख्या 516 और 517/2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2011 से उत्पन्न।

श्याम दीवान, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमन, अनुज शर्मा, राकेश सिन्हा, गौरव नायर (के. जे. जॉन एंड कंपनी के लिए) अपीलार्थियों के लिए ।

मनोज गोयल, शुभोदीप रॉय, गोपाल वर्मा, विप्रमा गुरा, प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इसमें आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय (इसके बाद उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित) की एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत, उसने एक सामान्य आदेश, एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 516 और एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 517 खारिज कर दिया। उपरोक्त दोनों अंतर-न्यायालय अपीलें सुशील के. चक्रवर्ती (इसके बाद, सुशील के.सी.) द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों अरुण के. चक्रवर्ती (इसके बाद, अरुण के.सी.) और सुनील के. चक्रवर्ती के माध्यम से

दायर की गई थीं, (इसके बाद, सुनील केसी के रूप में संदर्भित) जो ग्राम छतरपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली की राजस्व संपत्ति के भीतर आने वाली 8 बीघे और 5 बिस्वा कृषि भूमि और उस पर ट्यूबवेल, बिजली कनेक्शन आदि के साथ बने फार्म हाउस के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। इस संपत्ति को महारानी रोज़री भी बताया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि यह आक्षेपित आदेश दो मुकदमों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें से एक मेसर्स तेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड (इसके बाद तेज प्रॉपर्टीज के रूप में संदर्भित), जिसका सीएस (ओएस) नंबर 1997 का 2501 है जो सुशील केसी के खिलाफ दायर किया गया है और दूसरा सुशील केसी द्वारा जिसमें सीएस (ओएस) 1996 का 1348 संख्या है, तेज प्रॉपर्टीज के खिलाफ दायर किया गया है। मौजूदा विवाद को प्रभावी ढंग से समझने के लिए, ऊपर उल्लिखित दो मुकदमों से उत्पन्न प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का विवरण संक्षेप में दर्ज करना आवश्यक होगा, जिसके कारण अंततः समान विवादित आदेश दिनांक 17.10.2011. पारित हुआ।

सीएस (ओएस) नं. 2501/1997

3. तेज प्रॉपर्टीज द्वारा सीएस (ओएस) 1997 का 2501 नंबर दिनांक 13.11.1997 को उच्च न्यायालय में वादी तेज प्रॉपर्टीज द्वारा प्रतिवादी सुशील केसी के साथ दिनांक 17.3.1992 को निष्पादित बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त समझौता प्रतिवादी सुशील केसी के स्वामित्व वाली 8 बीघे और 5 बिस्वा कृषि भूमि के

संबंध में था, जिसमें ट्यूबवेल, बिजली कनेक्शन आदि के साथ एक फार्म हाउस भी शामिल था, जो गांव छतरपुर, तहसील महरौली की राजस्व संपत्ति के अंतर्गत आता था। बेचने का समझौता, उसी संपत्ति के संबंध में है, जिसका विवरण महारानी रोज़री है। दिनांक 17.3.1992 के समझौते में कुल 60,00,000/-रुपये पर तय किया गया, जिसमें से 22,00,000/-रुपये की राशि प्रतिवादी को बयाना राशि के रूप में दी गई। उक्त भुगतान में से, 20,00,000/-रुपये चेक द्वारा भुगतान किए गए (जिसमें 7,00,000/-रुपये के दो चेक और 6,00,000/-रुपये का एक चेक शामिल था)। शेष रु. 2,00,000/- का भुगतान नकद में किया गया। वादी तेज प्रॉपर्टीज द्वारा इस मुकदमे में यह शिकायत पेश की गई कि उसने कई मौकों पर सुशील केसी से संपर्क किया था, जिससे बिक्री लेनदेन पूर्ण किया जा सके, लेकिन सुशील केसी दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते को प्रभावी करने में विफल रहा। वादी तेज प्रॉपर्टीज ने दावा किया कि वह अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा करने को तैयार था, लेकिन प्रतिवादी सुशील केसी दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते के तहत निहित दायित्वों के संबंध में कोई कदम उठाने में विफल रहे।

4. सीएस (ओएस) संख्या 2501/1997 में अभिवचनों के अनुसार, विशिष्ट निष्पादन के लिए तत्काल मुकदमा दायर करने की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब वादी तेज प्रॉपर्टीज को प्रतिवादी सुशील केसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से एक नोटिस मिला, जिसमें बताया गया

कि प्रतिवादी सुशील केसी ने अचल संपत्ति की घोषणा और वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जो दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते के तहत विषय वस्तु था।

5. प्रतिवादी सुशील केसी ने सीएस (ओएस) 1997 का 2501 संख्या में उपस्थिति दर्ज की और 6.3.1998 को एक जबाब दावा दायर किया। इसके बाद, सुशील केसी ने उक्त सिविल मुकदमे में पेश होना बंद कर दिया। उसके बाद वकील के माध्यम से भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। तदनुसार सुशील केसी के विरूद्ध सीएस (ओएस) क्रमांक 1997 का 2501 में 1.8.2000 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी तेज प्रॉपर्टीज ने 9.12.2002 को साक्ष्य का शपथ पत्र दायर किया। सुशील केसी की मृत्यु 3.6.2003 को हो गई .....यानी सीएस (ओएस) 1997 का 2501 नंबर की लंबित रहनेके दौरान हो गई। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रतिवादी सुशील केसी के पास प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालाँकि, वह अपने पीछे दो भाइयों (जो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं) को छोड़ गए, अर्थात, अरुण केसी और सुनील केसी। 29.8.2003 को, वादी तेज प्रॉपर्टीज ने आईए 2003 का 9676 नंबर के रूप में एक अंतरिम आवेदन सीएस (ओएस) 1997 का 2501 संख्या के साथ एकपक्षीय रूप में आगे बढ़ने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के तहत दायर किया। इसके बाद उक्त मुकदमा तथ्यात्मक रूप से एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ा। 28.1.2005 को वादी तेज प्रॉपर्टीज की ओर से साक्ष्य दर्ज की गई। 9.8.2005 को, उच्च

न्यायालय ने वादी तेज प्रॉपर्टीज को दीवानी वाद के रिकॉर्ड पर दिनांक 17.3.1992 का मूल विक्रय करार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक को उस संपत्ति से संबंधित अपना रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में वादी तेज प्रॉपर्टीज विशिष्ट अनुपालना की मांग कर रही थी (दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते के आधार पर)। 4.5.2006 को पंजाब नेशनल बैंक का उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया गया। वादी तेज प्रॉपर्टीज और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप, पंजाब नेशनल बैंक को 10,47,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जिससे संपत्ति को छुडाया गया (जो कि विषय वस्तु थी) दिनांक 17.3.1992 को बेचने का समझौता) जिसे सुशील केसी द्वारा उक्त बैंक के पास गिरवी रखा गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुपालन में, पंजाब नेशनल बैंक ने संपत्ति केस्वामित्व केकागजात जारी किए (जो दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते का विषय था)। 25.7.2007 को, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 वादी तेज प्रॉपर्टीज को दिनांक 17.3.1992 के विक्रय करार की अनुपालना की डिक्री जारी की। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सीएस (ओएस) 1997 के 2501 नं. को डिक्री करते समय, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि वादी तेज प्रॉपर्टीज द्वारा प्रतिवादी सुशील केसी को शेष प्रतिफल के बदले में कोई शेष राशि देय नहीं थी, क्योंकि

वादी तेज प्रॉपर्टीज द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को भुगतान की गई राशि बकाया प्रतिफल से अधिक थी।

6. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501, सुशील केसी जिनकी 3.6.2003 को मृत्यु हो गई थी, के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों(अरुण केसी और सुनील केसी) को पक्षकार बनाए बिना दावे को निर्णीत किया था। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के तहत मामले को आगे बढ़ाया था, जिसके तहत, अदालत वादी को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकती है, जिसमेंप्रतिवादी, जिसने जबाबदावा प्रस्तुत किया है, उपस्थित होने और मुकदमा लड़ने में विफल रहा है। ऐसे मामले में, अदालत ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद अपना फैसला सुना सकती है। इस तरह का निर्णय उतना ही प्रभाव रखेगा जितनी होगी, यदि इसे प्रतिवादी की मृत्यु से पहले सुनाया गया होता।

7. 11.3.2008 को, अरुण केसी और सुनील केसी ने आईए 2008 के 3391 नंबर के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश पग नियम 13 के तहत एक अंतरिम आवेदन दायर किया। उनके मृत भाई सुशील केसी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, दिनांक 25.7.2007 के एकपक्षीय फैसले और डिक्री को वापस लेने के लिए (जिसके तहत सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 डिक्री किया गया था)। उपरोक्त अंतर्वर्ती आवेदन को प्रस्तुत करने में

हुए विलंब को आवेदकों, जो सुशील केसी के भाई थे, द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि उन्हें मुकदमे की संपत्ति के बारे में , साथ ही वादी तेज प्रॉपर्टीज द्वारा दायर मुकदमे के बारे में25.7.2007 को उस पर निर्णय/डिक्री प्रदान की गई, कि जानकारी फरवरी, 2008 के तीसरे सप्ताह मेंआवेदकों को हुई। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने पर, उन्होंने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया था। 26.2.2008 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के बाद, उन्होंने तुरंत आईए नं. 2008 का 3391 11.3.2008 को दाखिल कर दिया था।

8. अनावेदक/वादी तेज प्रॉपर्टीज ने आईए नंबर 2008 का 3391 पर 14.11.2008 को अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए आईए संख्या 2008 का 3391 को 24.8.2009 को खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश दिनांक 24.8.2009 से असंतुष्ट होकर, आवेदक अरुण केसी और सुनील केसी ने एक अंतवर्ती न्यायालय अपील दायर की, यानी एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 516 17.10.2011 को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उपरोक्त इंट्रा-कोर्ट अपील को खारिज कर दिया। एफएओ (ओएस) संख्या 2009 के 516 में दिनांक 17.10.2011 को पारित आदेश को वर्तमान अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई है।

9. वादी तेज प्रॉपर्टीज सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 वर्तमान अपीलों में प्रतिवादी है। सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 में प्रतिवादी सुशील

के.सी. अपने कानूनी प्रतिनिधियों अरुण केसी और सुनील केसी के माध्यम से, तत्काल अपील में अपीलकर्ता है।

सीएस (ओएस) नं. 1348/1996

10. 23.5.1996 को, सुशील केसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीएस (ओएस) संख्या 1996 के1348 में एक घोषणा के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि दिनांक 17.3.1992 को विक्रय का करार (पहले से ही ऊपर बताया गया है) निरस्त हो गया है, दाखिल किया। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि सुशील केसी ने दिनांक 5.8.1992 को एक नोटिस जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने प्रतिवादी तेज प्रॉपर्टीज को दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते की समाप्ति की सूचना दी थी। तदनुसार, उन्होंने संपत्ति का कब्ज़ा भी मांगा, जो दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते का विषय था। इसके अतिरिक्त, वादी सुशील केसी ने 40,00,000/- रुपये का हर्जाना मांगा।

11. 24.5.1996 को, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी तेज प्रॉपर्टीज को संपत्ति को हस्तांतरित करने या उस पर कब्जा अन्य को छोड़ने से रोक दिया गया, जो दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते का विषय था। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, वादी सुशील केसी की मृत्यु 3.6.2003 को यानी सीएस (ओएस) संख्या 1996 का 1348 के लंबित रहने के दौरान हो गई थी। चूंकि वादी सुशील केसी का सीएस (ओएस) संख्या 1348 1996 में

प्रतिनिधित्व नहीं था, के बाद 3.6.2003 के बाद 14.10.2004 को उक्त मुकदमा अदम पैरवी अदम हाजिरी मेंखारिज कर दिया गया।

12. जैसा कि पहले ही ऊपर वर्णित किया जा चुका है, सुशील केसी के पास प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वह अपने पीछे दो भाई, अरुण केसी और सुनील केसी (जो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं) छोड़ गए हैं। 28.3.2008 को, अरुण केसी और सुनील केसी ने, अपने मृत भाई सुशील केसी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश पग नियम 9 के तहत आईए नंबर 2008 का 4531 के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया। सीएस (ओएस) संख्या 1996 का 1348 की पुर्नस्थापना जिसे 14.10.2004 को गैर-अभियोजन के कारण डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। उपरोक्त अंतरिम आवेदन को प्रस्तुत करने में देरी के बारे में अरुण केसी और सुनील केसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण यह था कि उन्हें अपने भाई सुशील केसी द्वारा दायर मुकदमे और उसी के डिफ़ॉल्ट रूप में बर्खास्तगी (14.10.2004 को) के बारे में केवल फरवरी, 2008 के तीसरे सप्ताह मेंपता चला था। । आवेदकों का कथन है कि इसके बाद उन्होंने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया। यह उनका मामला है, कि प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के बाद, उन्होंने तुरंत आईए नंबर 2008 का 4531 28.3.2008 को दाखिल किया।

13. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आईए नं. 2008 का 4531 24.8.2009 को खारिज कर दिया। दरअसल, आईए नं. 2008 का 3391 (1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 से उत्पन्न) और आईए संख्या 2008 का 4531 (1996 के सीएस (ओएस) संख्या 1348 से उत्पन्न) का निपटान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.8.2009 के एक समान आदेश द्वारा किया गया था।

14. आदेश दिनांक 24.8.2009 से असंतुष्ट, जिसके द्वारा आई.ए. क्रमांक 2009 का 4531 खारिज कर दिया गया, आवेदकों (अरुण केसी और सुनील केसी) ने अंतवर्तीन्यायालय अपील दायर की, यानी एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 517 दिनांक 17.10.2011 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उपरोक्त अंर्तवर्ती न्यायालय अपील को खारिज कर दिया। दरअसल, एफएओ (ओएस) नं. 2009 का 516 (1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 में 2008 के आईए संख्या 3391 से उत्पन्न) और एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 517 (सीएस (ओएस) संख्या 1348/1996 में 2008 के आईए संख्या 4531 से उत्पन्न), उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.10.2011 के एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया गया था।

15. वादी सुशील केसी सीएस (ओएस) नं. 1348/1996, अपने कानूनी प्रतिनिधियों अरुण केसी और सुनील केसी के माध्यम से, वर्तमान अपील में अपीलकर्ता है। प्रतिवादी तेज प्रॉपर्टीज सीएस (ओएस) नं. 1996 का 1348 त्वरित अपीलों में प्रतिवादी है।

प्रथम समान आदेश दिनांक 24.8.2009 जोउच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

16. इस विवाद में पहला समान आदेश 24.8.2009 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत अपीलकर्ता सुशील केसी के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर दो अंतरिम आवेदनों का निपटारा किया गया। उपरोक्त समान आदेश दिनांक 24.8.2009 द्वारा उच्च न्यायालय ने आईए क्रमांक 2008 का 3391 (1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 से उत्पन्न) को खारिज कर दिया। 25.7.2007 के एकपक्षीय फैसले/डिक्री को वापस लेने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश पग नियम 13 के तहत दायर किया गया, जिसके तहत, सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था। 24.8.2009 के उसी आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आईए नं. 2008 का 4531 (1996 के सीएस (ओएस) संख्या 1348 से उत्पन्न) को भी खारिज कर दिया। सीएस (ओएस) संख्या 1996 का 1348 जिसे 14.10.2004 को अदम पैरवी अदम हाजिरी के कारण खारिज कर दिया गया था, की पुर्नस्थापना के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश पग नियम 9 के तहत दायर किया गया।

17. यहां ऊपर दर्शित की गई तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि भले ही सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 को 25.7.2007 को डिक्री किया गया था, आईए नं. 2008 का 3391 (निर्णय/डिक्री दिनांक 25.7.2007 को वापस लेने के लिए) 11.3.2008 को दायर किया गया था। इसी तरह, भले ही सीएस

(ओएस) नं. 1996 के 1348 को 14.10.2004 को अदर पैरवी अदम हाजिरी के कारण खारिज कर दिया गया था, आईए नं. 2008 का 4531 (1996 के सीएस (ओएस) संख्या 1348 की पुर्नस्थापना के लिए) 28.3.2008 को दायर किया गया था। उपरोक्त अंतर्वर्ती आवेदन प्रस्तुत करने में देरी को यह कहते हुए स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि अरुण केसी और सुनील केसी (सुशील केसी के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, जिन्होंने उपरोक्त आवेदन दायर किए थे) को संदर्भ के तहत संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उन्हेंइसके संबंध में लंबित मुकदमे की कोई जानकारी थी। तेज प्रॉपर्टीज ने उपरोक्त तथ्यात्मक दावों को नकारते हुए आवेदनों का गंभीरता से विरोध किया, अर्थात, उपरोक्त कानूनी उत्तराधिकारियों को विचाराधीन संपत्ति के बारे में जानकारी थी, साथ ही लंबित मुकदमे के बारे में भी पता था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करके, अंतरिम आवेदन दाखिल करने में देरी के कारण के लिए आवेदकों द्वारा किए गए तथ्यात्मक दावों को स्वीकार नहीं किया।

> "25. इन आवेदनों को दाखिल करने में देरी के लिए आवेदकों द्वारा दिए गए कारणों से यह न्यायालय बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस आधार पर कि उन्हें इन मुकदमों के लंबित होने की जानकारी नहीं थी और उन्हें फरवरी, 2008 में ही इसकी जानकारी हुई, संतुष्टी को प्रेरित नहीं करता है। वादी (टीपीपीएल) द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों से पता

चलता है कि आवेदकों को स्वर्गीय सुशील के. चक्रवर्ती से जुड़े मुकदमे के पहले दौर के दौरान भी इन कार्यवाहियों के बारे में पता था, जिसमें वे भी पक्षकार थे। इसलिए, अदालत मेंकार्यवाही करने में देरी के लिए दिए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं।

18. इस मुद्दे पर क्या सीएस (ओएस) नं. 1997 के 2501 को प्रतिवादी सुशील केसी (अर्थात, अरुण केसी और सुनील केसी) के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना डिक्री किया जा सकता था, जिनकी 3.6.2003 को मृत्यु हो गई थी, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश नेनिम्नानुसार अवलोकन करके सकारात्मक निष्कर्ष दिया-

22. विचार करने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय ने मुकदमे पर फैसला सुनाने से पहले उक्त आवेदन आईए संख्या 9676/2003 का निपटारा न करके गलती की है। 25 जुलाई, 2007 के फैसले और डिक्री के पैरा 11 में इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, न्यायालय ने न केवल आदेश गगपप नियम 4 सीपीसी पर ध्यान दिया, बल्कि एक निश्चित राय बनाई कि उक्त प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए और मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी (सुशील के. चक्रवर्ती) की मृत्यु हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने जो

कहा वह यह था कि आदेश गगपप नियम 4(4) सीपीसी के प्रावधानों से पता चलता है कि न्यायालय वादी को ऐसे किसी भी प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकता है जो जबाबदावा प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं या जिसने इसे दायर किया है, वह उपस्थित होने और मुकदमे का चुनौती देनेमें विफल रहा है और ऐसे मामले में निर्णय ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद सुनाया जा सकता है और इस तरह के निर्णय का वही प्रभाव होगा, अगर यह मृत्यु होने से पहलेसुनाया जाता।

23. एल्सा बनाम ए. दास, एआईआर 1992 मैड में निर्णय 159, में अभिनिर्धारित किया हैकि आदेश गगपप नियम 4(4) सीपीसी के संदर्भ में छूट देने का आदेश निर्णय से पहले होना चाहिए। यह माना गया कि वादी के लिए ऐसी छूट के लिए लिखित आवेदन दायर करना आवश्यक नहीं था। 24 जुलाई, 2007 के निर्णय और डिक्री से स्पष्ट अनुक्रम को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय ने पहले यह राय बनाई थी मुकदमे को डिक्री करने के लिए आगे बढेऔर उसके बाद कि वादी को आदेश गगपप नियम 4(4) के संदर्भ में मृत प्रतिवादी को प्रतिस्थापित करने से छूट दी जानी चाहिए। जहीरुल इस्लाम बनाम मोहम्मद

उस्मान , (2003) 1 एससीसी 476, और टी. ज्ञानवेल बनाम टीएस कनगराज, जेटी 2009 (3) एससी 196, के निर्णय में इसके विपरीत कुछ भी नही है। वे निर्णय सुनाए जाने से पहले केवल आदेश गगपप नियम 4(4) सीपीसी के अनुपालन की आवश्यकता को दोहराते हैं। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, इस न्यायालय द्वारा पारित 24 जुलाई, 2007 का निर्णय और डिक्री आदेश गगपप नियम 4(4) सीपीसी की आवश्यकता के साथ पूरी तरह से अनुपालन करता है। तदनुसार, इस आधार में कोई गुणावगुण नहीं है।"

<u>दूसरा समान आदेश दिनांक 17.10.2011 उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।</u>

19. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित समान आदेश दिनांक 24.8.2009 से असंतुष्ट, सुशील केसी के कानूनी प्रतिनिधिं, अरुण केसी और सुनील केसी ने एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 516 और एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 517 होने के कारण दो अंतवर्ती न्यायालय अपील दायर कीं। ऊपर दर्ज विवरण सेयह स्पष्ट हैकि 24.8.2009 के पहले समान आदेश से संबंधित, कि दो विशिष्ट मुद्दे निर्धारित किए गए थे, अर्थात, क्या आदेश पग नियम 9 और 13 के तहत अंतरिम आवेदन दाखिल करने में देरी हुई थी, जिसेसिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्षम्य किया जाना चाहिए और दूसरा बिन्दु, क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का सीएस (ओएस)

संख्या 1997 का 2501 के साथ आगे बढ़ना एकमात्र प्रतिवादी सुशील केसी की मृत्यु (3.6.2003 को) के बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (अरुण केसी और सुनील केसी) को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए बिना उचित था।

20. द्वितीय समान आदेश दिनांक 17.10.2011 द्वारा एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 516 और एफएओ (ओएस) संख्या 2009 का 517 का निस्तारण किया गया। इसके अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 17.10.2011 को समान आदेश पारित करते समय केवल एक मुद्दे से निपटा, अर्थात, क्या आदेश पग नियम 9 व 13 के तहत अंतरिम आवेदन दाखिल करने मेंदेरी हुई को क्षम्य किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीएस ओएस नं. 1997 का 2501 में कार्यवाही जारी रखने के औचित्य पर अपीलकर्ता सुशील केसी (जिनकी 3.6.2003 को मृत्यु हो गई थी (उनके कानूनी प्रतिनिधियों अरुण केसी और सुनील केसी के माध्यम से से)के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना के आदेश पर कोई भी निष्कर्षनहीं दिया। इसलिए हम मानेंगे कि उक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया था।

21. अब हम 17.10.2011 के दूसरे समान आदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्धारण पर विचार कर सकते हैं, जिसके तहत देरी की

माफी के लिए प्रार्थना (2008 के आईए संख्या 3391 और 4531 में) अस्वीकार कर दी गई थी। देरी के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की-

"12. जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, जब आवेदक सं. 2 श्री अरुण के. चक्रवर्ती और उनकी पत्नी तथा उनके साले को दिनांक 17.3.1992, सीसीपी नं. 450/1993 को बेचने के समझौते के बारे में पता चला और उसके बाद आईए नं.10161/1997 सीएस (ओएस) संख्या में 1479 ए/1989 श्री अरुण के. चक्रवर्ती की पत्नी और साले द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब आईए नंबर 10161/1997 दिनांक 25.8.1998 को स्वर्गीय श्री सुशील के. चक्रवर्ती द्वारा जवाब दाखिल किया गया था, उन्होंने सीएस (ओएस) नंबर 1348/1996 और सीएस (ओएस) नं. 2501/1997 उनके और मेसर्सतेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड के बीच की लंबित होनेके बारे में खुलासा किया और यह भी तथ्य कि दो प्रतिदावा का विषय महारानी रोज़री वाली भूमि से संबंधित दिनांक 17.3.1992 को बेचने का समझौता था।

13. अब, अपीलकर्ता अर्थात् विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदक हमारे समक्ष आग्रह करते हैं कि इस तथ्य से

कि अपीलकर्ता नं. 2/आवेदक क्रमांक. 2 की पत्नी और साला को सीएस (ओएस) नंबर 1348/1996 और सीएस (ओएस) नं. 2501/1997 का ज्ञान था। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आवेदकों को भी 2 मुकदमों की जानकारी थी।

14. यह विवादित नहीं है कि आवेदक नं. 2 की पत्नी के उसके साथ मधुर संबंध हैं और वह उसके साथ रहता है। इस प्रकार, उसके पति से संबंधित महत्वपूर्ण हित के मुद्दे पर उसका ज्ञान उसके पति को दिया जाना एक तथ्य की बात है, जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं कि उसने अपने पति कोजानकारी नहीं दी हो लेकिन, हमें अपने निर्णय को अपने विश्वास पर टिकाने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए सामान्य मानवीय आचरण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, यानी एक पति और पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण हित का मामला जो कि पति या पत्नी में से किसी एक की जानकारी में है और दूसरे को दिया जाता है, इस कारण से महत्वपूर्ण महत्व का एक तथ्य मौजूद है जो आवेदक संख्या 2 के ज्ञान को स्वर्गीय श्री सुशील के. चक्रवर्ती और मै. तेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड के बीच दो प्रतिदावोंकी पेंडेंसी के लिए जानकारी कोस्पष्ट रूप से दर्शाता है।

15. जैसा कि हमने यहां ऊपर उल्लेख किया है, आवेदक संख्या 2 श्री अरुण के. चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी और साले के साथ सीएस (ओएस) नंबर 1275/1990 दाखिल किया था, में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि स्वर्गीय श्री सुशील के. चक्रवर्ती के साथ साझेदारी से संबंधित एमओयू दिनांक 26.10.1986 को अवैध घोषित किया जाए और उन पर बाध्यकारी न हो और इस मुकदमे को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाए, हालांकि इन्हें समेकित नहीं किया गया, लेकिन सीएस (ओएस) संख्या 1479 ए/1989. के साथ सूचीबद्ध किये गये। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों मुकदमों को एक साथ सूचीबद्ध किया जा रहा था, और इस प्रकार उक्त तथ्य से कोई भी अरुण के. चक्रवर्ती के बारे में सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उनके चाचा (तदनुसार) स्वर्गीय श्री सुशील के. चक्रवर्ती और मै. तेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड सीएस (ओएस) संख्या 1348/1996 और सीएस (ओएस) नं. 2501/1997. में परस्पर वादी और प्रतिवादी के रूप में मुकदमेबाजी में थे।

16. उनका यह दावा कि उन्हें मुकदमे के बारे में फरवरी, 2008 में ही पता चला, बिल्कुल गलत है।

21. यहां ऊपर उल्लिखित तथ्य यह दर्शाते हैं कि यदि पहले नहीं, तो कम से कम स्व श्री सुशील के. चक्रवर्ती के आईए नंबर 10161/1997 सीएस (ओएस) संख्या में जवाब दाखिल किया, तब 1479 ए/1989, जवाब 25.8.1998 को दायर किया जा रहा है, अपीलकर्ताओं को इस तथ्य की जानकारी हो चुकी थी कि दिनांक 17.3.1992 को विक्रय करार से संबंधित उनके चाचा (तदनुसार) स्वर्गीय श्री सुशील के. चक्रवर्ती और मै. तेज प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड सीएस (ओएस) नंबर 1348/1996 और सीएस (ओएस) नं. 2501/1997 होने के कारण मुकदमेबाजी और प्रतिदावा में लंबित थे। दोनों ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उनके चाचा की 3.6.2003 को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार, वर्ग-ा के उत्तराधिकारियों के रूप में, एक दावा जो वे अपने चाचा (एसआईसी) की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन्हें सीएस (ओएस) संख्या 1348/1996 में वादी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए प्रतिस्थापन की मांग करने के लिए और सीएस (ओएस) नं. 2501/1997 प्रतिवादी के रूप मेंबचाव केलिये निर्धारित सीमा अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए कदम उठाना चाहिए था । दो मुकदमों के लंबित होने की जानकारी होने पर, पहले को 14.10.2004 को अदम पैरवी अदम हाजिरी के रूप

मेंखारिज कर दिया गया था और पश्चातवर्तीमें उनके चाचा (एसआईसी) पर 1.8.2000 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी और मुकदमे का फैसला 25.7.2007 को हुआ था, यह था फरवरी, 2008 में आवेदन दायर करके पूर्व की बहाली और बाद में पूर्व-भाग डिक्री को रद्द करने की मांग करने के लिए दोनों के लिए बहुत देर हो चुकी है। उनका दावा है कि उन्हें फरवरी, 2008 के पहले सप्ताह से पहले दोनों मुकदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एक गलत पक्ष है और इस प्रकार हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि दोनों आईए संख्या 4531/2008 सीएस (ओएस) संख्या 1348/1996 एवं आईए नं. 3391/2008 सीएस (ओएस) संख्या 2501/1997 को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने का अधिकार देने वाले पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहे और इस प्रकार हम अपीलकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में 20,000/-रुपये की लागत (एक साथ) लगाने वाली दोनों अपीलों को खारिज करते हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो समान आदेशों दिनांक 24.8.2009 और 17.10.2011 को चुनौती

22. हमारे सामने, 17.10.2011 के दूसरेसमान आदेश के पारित होने के परिणामस्वरूप, एकमात्र स्थायी चुनौती, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण किये

गये बिन्दूतक सीमित होनी चाहिए, कि आईए संख्या 2008 के 3391 और 4531 दाखिल करने में देरी को आवेदकों (अरुण केसी और सुनील केसी) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों पर, अपीलकर्ता के आदेश पर उठाए गए देरी की माफी के दावे को सरसरी तौर पर खारिज करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले, अपीलकर्ता के खिलाफ मामले का फैसला 24.8.2009 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा और उसके बाद 17.10.2011 को खंडपीठ द्वारा किया गया था। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने कुछ तथ्यों पर विचार नहीं किया, जिन पर उसे विचार करना चाहिए था। अपीलकर्ता का मामला यह भी नहीं है कि उच्च न्यायालय ने कुछ तथ्यों पर गलती से या गलत तरीके से भरोसा किया, भले ही सत्य स्थिति अन्यथा थी। तात्कालिक तथ्यात्मक स्थिति में, हमारे लिए निर्धारित करने के लिए शायद ही कुछ होगा, ऊपर उल्लिखित स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति केप्रकाश मेंइस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ऐसे दावे की अपरिहार्य अस्वीकृति को छोड़कर।

23. हमारे पूर्वोक्त दृढ़ संकल्प के बावजूद, चूंकि प्रतिद्वंद्वी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के हाथों इस मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई थी, इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की फिर से जांच करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान निर्धारण में, सबसे पहले अपीलकर्ता(कानूनी प्रतिनिधियों अरुण केसी और सुनील केसी के माध्यम

से) द्वारा देरी की माफी के लिए अपनाए अपीलकर्ता के आदेश पर यह अनुरोध पर ध्यान देना आवश्यक है कि अरुण केसी और सुनील केसी (सुशील केसी के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि), जिन्होंने आईए नंबर 2008 के 3391 और 4531 दाखिल किया था, में उन्हें संदर्भाधीन संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उन्हें इसके संबंध में लंबित मुकदमे के बारे में कोई जानकारी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, दिनांक 24.8.2009 को सामान्य आदेश पारित करते हुए, साथ ही, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने, दिनांक 17.10.2011 को सामान्य आदेश पारित करते हुए, देरी की माफी के लिए अपीलकर्ता के रुख कोविस्तृत रूप से वर्णित किया। उपरोक्त रुख अरुण केसी और सुनील केसी की ओर से दायर याचिकाओं के अनुरूप है। उनका यह मामला है, कि उन्हें सुशील केसी के स्वामित्व वाली 8 बीघे और 5 बिस्वा की कृषि भूमि छतरपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली, (जिसे महारानी रोज़री भी कहा जाता है) की राजस्व संपत्ति के अंतर्गत आने वाले ट्यूबवेल, बिजली कनेक्शन आदि के साथ उस पर फार्म हाउस बनाया गया से संबंधित मुकदमे की लंबितता के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें फरवरी, 2008 के तीसरे सप्ताह में ही इसके बारे में पता चला। इस बात से अवगत होने के बाद, यह उनका मामला है कि उन्होंने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तुरंत उच्च न्यायालय में आवेदन किया। फरवरी, 2008 के अंतिम सप्ताह में प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के बाद, बिना किसी देरी के, उन्होंने आईए नंबर 11.3.2008 को 2008 का 3391, और आईए नं. 28.3.2008

को 2008 का 4531 प्रस्तुत किया। यदि आवेदकों (अरुण केसी और सुनील केसी) द्वारा बताई गई तथ्यात्मक स्थिति, जिन्होंने उपरोक्त दो अंतरिम आवेदन दायर किए थे, सही होती, तो देरी की माफी के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड है कि उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति झूठी है। इस संबंध में, यह संज्ञान करना प्रासंगिक है कि सीएस (ओएस) संख्या 1990 का 1275 में कार्यवाही के दौरान कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक द्वारा एक समझौता ज्ञापन दायर किया गया, जिसने अपने भाई के साथ संयुक्त रूप से दो अंतर्वर्ती आवेदन (2008 के आईए संख्या 3391 और 4531) दायर किए हैं, जिसमेंएक प्रार्थना की गई थी कि 28.10.1996 को, सुशील केसी के साथ वादी को साझेदारी को अवैध घोषित किया जाए। हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान, उपरोक्त सीएस (ओएस) नं. 1990 के 1275 को सीएस (ओएस) नंबर 1989 का 1479 ए के साथ समेकित करने का आदेश दिया गया था, जहां से सुशील केसी के बीच लंबित मुकदमे का तथ्य और तेज प्रॉपर्टीज़ स्वाभाविक रूप से कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों में से किसी एक के ज्ञान और संज्ञान में आ गई होगी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित समान आदेश दिनांक 17.10.2011 में दर्ज निष्कर्ष, कि दिनांक 17.3.1992 को बेचने के समझौते से संबंधित ज्ञान आवेदकोंसुशील केसी द्वारा आईए क्रमांक सीएस (ओएस) संख्या में 1997 का 10161 को दायर किए गए उत्तर से 25.8.1998 को 1989

का 1479 ए, द्वारा दो अंतर्वर्ती आवेदनों (आईए क्रमांक 3391 और 4531 ऑफ़ 2008) में प्राप्त किया गया था, विवादित नहीं किया गया है। इसी तरह, तथ्य यह है कि सुशील केसी ने आईए संख्या सीएस (ओएस) संख्या में 1997 का 10161 के उपरोक्त उत्तर में खुलासा किया था। 1989 का 1479 ए, सीएस (ओएस) संख्या 1996 का 1348 और सीएस (ओएस) नं. 1997 का 2501 उनके (सुशील केसी) और तेज प्रॉपर्टीज के बीच की लम्बितता और आगे तथ्य यह है कि उपरोक्त दोप्रतिदावा का विषय भूमि से संबंधित दिनांक 17.3.1992 को बेचने का समझौता था जो वर्तमान विवाद का विषय है, विवादित भी नहीं किया गया है. इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अरुण केसी और सुनील केसी को सुशील केसी की संपत्ति के बारे में 25.8.1998 को ही जानकारी थी, जो 1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 में विचाराधीन थी। इसलिए हम यह भी निष्कर्ष निकालेंगे कि अरुण केसी और सुनील केसी को 25.8.1998 को ही सुशील केसी और तेज प्रॉपर्टीज के बीच लंबित मुकदमे की जानकारी थी। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति हमारे मन में किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है, कि आवेदक अरुण केसी और सुनील केसी (2008 के आईए संख्या 3391 और 4531 में) को उस संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी थी जो यहां विचार का विषय है, साथ ही साथ 3.6.2003 को सुशील केसी की मृत्यु से काफी पहले, इससे संबंधित मुकदमा लंबित था। इसलिए, सुशील केसी की मृत्यु (3.6.2003 को) के तुरंत बाद उपरोक्त दोनों मुकदमों में कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि के रूप में उनकी

भागीदारी में देरी होने का कोई वैध औचित्य नहीं हो सकता है। दोनों मुकदमों में भाग लेने के उनके प्रयास 11.3.2008 को (2008 के आईए नंबर 3391 को दाखिल करके-1997 के सीएस (ओएस) नंबर 2501 में), और 28.3.2008 को (2008 के आईए नंबर 4531 को दाखिल करके-1996 के सीएस (ओएस) क्रमांक 1348 में) शुरू हुए । इसलिए यह स्पष्ट है कि मृतक सुशील केसी के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (अरुण केसी और सुनील केसी) द्वारा देरी की माफी के लिए उनके द्वारा दायर किए गए अंतर्वर्ती आवेदन (आईए नंबर 3391 और 4531/2008) में दिया गया स्पष्टीकरण उनके ज्ञान के अनुसार झूठ और गलत था। इस प्रकार निष्कर्ष निकालने के बाद, यह स्पष्ट है कि आवेदकों ने न्यायिक निवारण के लिए साफ हाथों से उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया था। हमारे उपरोक्त दृढ़ संकल्प के आधार पर, हम संतुष्ट हैं, कि विद्वान एकल न्यायाधीश (दिनांक 24.8.2009 के आदेश के माध्यम से) और डिवीजन बेंच (दिनांक 17.10 के आदेश के माध्यम से) 2011) में दो अंतर्वर्ती आवेदन (2008 के आईए संख्या 3391 और 4531) दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए सुशील केसी के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं करना पूरी तरह से उचित था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

24. हमारा उपरोक्त दृढ़ संकल्प गुण-दोष के आधार पर विवाद के निर्णय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। हालाँकि, हम रिकॉर्ड कर सकते

हैं कि हमारे सामने सुनवाई के दौरान, विवाद के गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों जो एकमात्र दलील दी गई, वह सीएस में कार्यवाही जारी रखने के लिए अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती पर आधारित थी। (ओएस) नं. 1997 का 2501 3.6.2003 को सुशील केसी की मृत्यु के बाद भी मृतक सुशील केसी के कानूनी उत्तराधिकारियों (अरुण केसी और सुनील केसी) को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए बिना, जिस दृढ़ता के साथ समर्पण किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, हम उस पर भी अपना दृढ़ संकल्प प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न हो कि अपीलकर्ता को लगे कि उसकी दलीलों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है।

25. निस्संदेह, गुण-दोष के आधार पर उठाए गए मुद्दे की सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4 के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए। आदेश गगपप नियम 4 तदनुसार यहां पुनरू प्रस्तुत किया गया है-

> "4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया-(1) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादी, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित नहीं रहता है। यदि मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है, तो न्यायालय, उस संबंध में किए गए आवेदन पर, मृत प्रतिवादी के कानूनी

प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाएगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने चरित्र के अनुरूप कोई भी बचाव कर सकता है।

(3) जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, मृत प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

(4) न्यायालय जब भी उचित समझे, वादी को ऐसे किसी भी प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकता है जो लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा है या जो इसे दायर करने के बाद उपस्थित होने और मुकदमा लड़ने में विफल रहा है सुनवाई; और ऐसे मामले में, ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद, उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुनाया जा सकता है और इसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि यह मृत्यु होने से पहले सुनाया गया हो।

(5)कहां-

(ए) वादी प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था, और इस कारण से, सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस नियम के तहत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन नहीं कर सका और परिणामस्वरूप, मुक़दमा समाप्त हो गया है, और

(बी) वादी परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, छूट को रद्द करने के लिए और उस अधिनियम की धारा 5 के तहत उस आवेदन को इस आधार पर स्वीकार करने के लिए आवेदन करता है कि वह ऐसी अज्ञानता के कारण, उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण होने पर, न्यायालय उक्त धारा 5 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, ऐसी अज्ञानता के तथ्य पर उचित ध्यान देगा, यदि साबित हो जाए।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील का जोरदार तर्क यह है कि मामले को आगे बढ़ाने से पहले अदालत के लिए वादी को प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट देना अनिवार्य है। अदालत द्वारा दी गई ऐसी किसी भी स्पष्ट छूट के अभाव में, मृत प्रतिवादी के स्थान पर कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना, वादी

द्वारा कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है, जिसने अपने पक्ष में निष्कर्ष प्राप्त किया है।

26. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील केद्वारा प्रस्तुत कथनो पर विचारपूर्वक विचार किया है। वास्तविक मुद्दा जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के तहत अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील केप्रस्तुत किये गये विवाद के संदर्भ में निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई के दौरान आगे बढ़ रहे हैंको1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 को वादी सुशील केसी (यहाँ अपीलकर्ता) की मृत्यु के बारे में पता था और इसके अलावा, क्या इसके बाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक प्रतिवादी सुशील केसी के कानूनी प्रतिनिधियोंको पक्षकार बनाने पर जोर दिए बिना मुकदमे को आगे बढ़ाने का सचेत निर्णय लिया था। इस मामले केतथ्यों मेंऊपर पूछे गए प्रश्न का उत्तर रिकॉर्ड करना हमारे लिए संभव है। अब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। यह विवाद का विषय नहीं है कि सुशील केसी की मृत्यु 3.6.2003 को हो गई थी। यह भी विवाद का विषय नहीं हैकि 29.8.2003 को वादी तेज प्रॉपर्टीज (यहां प्रतिवादी) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के तहत 2003 के आई.ए. नंबर 9676 के रूप मेंएक अंतरिम आवेदन 1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 के साथ एकतरफा कार्यवाही के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान मेंलाकर कि सुशील केसी की मृत्यु 3.6.2003 को हो गई थी, दायर किया था। यह

स्वीकृत स्थिति होने के नाते, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 में कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी, तो यह निष्कर्ष निकालना जरूरी है कि अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता मेंआदेश गगपप नियम 4(4) के तहत सुशील केसी (उसमें प्रतिवादी) के हितों के विरुद्ध मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने के लिए, पहले तेज प्रॉपर्टीज (उसमें वादी) को मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता के बिना एक सचेत निर्णय लिया था। इसलिए, 28.1.2005 को वादी यानी तेज प्रॉपर्टीज (यहाँ प्रतिवादी) की ओर से साक्ष्य दर्ज किया गया था। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, निश्चित रूप से हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, कि सुशील केसी की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, जो 2006 के आईए नंबर 7696 के माध्यम से उनकी जानकारी में आया, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था। सुशील केसी के हितों के विरुद्ध मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने के लिए 1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई यह स्थिति दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4 (4) के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य थी। एक विचारण न्यायालय उपरोक्त प्रावधान के तहत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना, जो एक लिखित बयान दायर करने के बाद भी उपस्थित होने और मुकदमा लड़ने में विफल रहे हैं, अगर अदालत ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझती है एक मुकदमे पर आगे बढ़ सकता है।, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश

गगपप नियम 4(4) के सभी तत्व इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह लागू होते हैं। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिवादी सुशील केसी ने सीएस (ओएस) संख्या 1997 का 2501 में उपस्थिति दर्ज की एवं 6.3.1998 को अपना जबाबदावा प्रस्तुत किया था। इसके बाद प्रतिवादी सुशील केसी ने उक्त सिविल मुकदमे में पेश होना बंद कर दिया। इसके बाद वकील के माध्यम से भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। सुशील केसी के विरुद्ध कार्यवाही का एकपक्षीय आदेश 1.8.2000 को पारित किया गया। इसके बाद भी, 3.6.2003 को उनकी मृत्यु तक, सुशील केसी द्वारा 1997 की सीएस (ओएस) संख्या 2501 की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यह स्पष्ट है, कि ट्रायल कोर्ट ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति के प्रति सचेत था, और संज्ञान होते हुए मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जब मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, तो सुशील केसी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने पर जोर दिए बिना, यह अदालत की संतुष्टि पर किया गया था, कि यह वादी (तेज प्रॉपर्टीज) कोएकमात्र प्रतिवादी सुशील केसी (यहाँ अपीलकर्ता) के प्रतिनिधि कोविधिक पक्षकार बनाने की आवश्यकता से छूट देने के लिए एक उपयुक्त मामला था। यह केवल इस संतुष्टि पर किया जा सकता था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के तहत निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया गया है। उपरोक्त संतुष्टि उचित थी, यह तथ्य यहां ऊपर हमारे द्वारा पहले ही सकारात्मक निष्कर्ष निकाला जा चुका है। इसलिए

हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1997 के सीएस (ओएस) संख्या 2501 में मामले को आगे बढ़ाने में, एकमात्र प्रतिवादी सुशील केसी के खिलाफ उसकी जगह अपने कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना, कोई भी त्रुटि नहीं की। इसलिए, हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश गगपप नियम 4(4) के संदर्भ में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हैं।

27. यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हमेंवर्तमान अपीलों में कोई गुण नहीं है और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री समंदर सिंह सिकरवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****